[illegible] प्रकरणों में इसी वकील [illegible] प्रकरण वहन वकील [illegible] का मत लिया गया। [illegible] के अनुसार [illegible] रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अनुसूचित जनजाति संख्या 2016-24 के बाद [illegible] प्रमाणपत्र [illegible] की संशोधन आवेदनों के पश्चात [illegible] आवेदकों के विरुद्ध निर्णय [illegible] चाहता है। जबकि विधि अनुसार आवेदकों के विरुद्ध मामला लंबित [illegible] ~~अंकित~~ किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण पत्रावली विरुद्ध [illegible] पारित किया जाता है। [illegible] कुमार [illegible] के [illegible] निस्तारण की जाये। आदेश [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:23:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)